DBS Bank India Ltd.

व्यापक डिपॉज़िट पॉलिसी अक्टूबर 2025

जारीकर्ता:

अंबुज चंदना, प्रबंध निदेशक, कंज्यूमर बैंकिंग इंडिया

दिव्येश दलाल, प्रबंध निदेशक, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इंडिया (FIG और SME)

शांतनु मित्रा, प्रबंध निदेशक, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इंडिया (लार्ज कैप और मिड कैप)

विषयवस्तु

मार्गदर्शक सिद्धांत 1
नीति 2
1. जमा खातों के प्रकार 2
1.1.1. बचत बैंक खाता 2
1.1.1.1. नाबालिग खाता 3
1.1.1.2. अनिवासी बचत खाता 3
1.1.1.3. बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट अकाउंट (BSBDA) 4
1.1.2. चालू खाता 4
1.1.3. विदेशी मुद्रा खाता 5
1.1.4. विशेष अनिवासी रुपी अकाउंट 5
1.1.5. सावधि जमा 5
1.1.5.1. आवर्ती जमा 5
1.1.7. निवासी विदेशी मुद्रा अकाउंट 6
1.1.8. सावधि जमा के बदले ओवरड्राफ्ट / जमा ऋण 6
2. खाता खोलना 7
3. ब्याज 8
जमा खातों का संचालन 13
अन्य बैंकिंग सेवाएं 17
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी- 18
गवर्नेंस 19
परिशिष्ट 1 20
शब्दावली 20
परिशिष्ट 2 20
आईबीजी (IBG) रेट अपडेट करने की प्रक्रिया 20
परिशिष्ट 3 21
पिछले संस्करण 21

मार्गदर्शक सिद्धांत

यह दस्तावेज़ बैंक के विभिन्न जमा उत्पादों और संबंधित बैंकिंग सेवाओं के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांतों की जानकारी देता है। यह दस्तावेज़ जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता देता है और इसका उद्देश्य ग्राहकों के फायदे के लिए आम जनता से डिपॉज़िट को स्वीकार करने, विभिन्न जमा खातों के संचालन, ब्याज के भुगतान, खाते बंद करने तथा, मृत हो चुके जमाकर्ताओं की जमा राशि के निपटान के तरीके आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी फैलाना है। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाना तथा जमा खातों से संबंधित बैंक की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करके अधिक पारदर्शिता लाना है।

इस नीति को अपनाते समय, बैंक द्वारा ग्राहकों के प्रति, 'कोड ऑफ़ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स' में दी गई अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टी की जाती है।

DBS Bank India Ltd (DBIL), DBS Bank Ltd (DBL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) है, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करने के मामले में, जटिल, लंबे समय तक, बड़े या महत्वपूर्ण लेनदेन से निपटने के दौरान, DBIL ग्रुप के न्यूनतम स्वीकृति मानदंड को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, DBL के अनुभव और विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा, DBIL, संचालन में ग्रुप के न्यूनतम स्वीकार्य मानदंडों का पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए, DBL द्वारा निर्धारित कुछ नीतियों और मानकों पर विचार और भारतीय नियमों के अनुसार, उनमें बदलाव किया जाएगा।

नीति

यह दस्तावेज़ जमा से संबंधित वर्तमान नियामकीय प्रावधानों पर आधारित है। विभिन्न जमा स्कीमों और संबंधित सेवाओं के बारे में विस्तृत संचालन निर्देश समय-समय पर जारी किए जाते रहेंगे।

1. जमा खातों के प्रकार

जमा उत्पादों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1.1.1. बचत बैंक खाता

ये खाते किसी पात्र व्यक्ति या RBI द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित किए गए मास्टर डायरेक्शन्स ऑन इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉज़िट्स के अनुसार कुछ पात्र गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा, खोले जा सकते हैं। ये खाते अतिरिक्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट (FCRA), CGA/GOI गाइडलाइंस, प्रिवेंशन ऑफ़ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) गाइडलाइंस, राज्य के अपने विशेष कानूनों आदि द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसमें HUF (हिंदू अनडिवाइडेड फ़ैमिली) भी शामिल हैं। DBIL में कई तरह के बचत खातों की सुविधा उपलब्ध है।
इन खातों पर ब्याज अर्जित होता है और ग्राहक की आवासीय स्थिति के आधार पर इन्हें निवासी / अनिवासी बचत खाते के तौर पर खोला जा सकता है।
बचत जमा खातों पर ब्याज दर की गणना और भुगतान RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें समय-समय पर बदलाव हो सकता है। इसे बैंक की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा।

ऐसे खाते किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से खोले जा सकते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खोले गए जॉइंट अकाउंट को ग्राहकों द्वारा निर्दिष्ट संचालन मैंडेट के अनुसार एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा सकता है। संचालन मैंडेट को सभी खाताधारकों की सहमति से ही बदला जा सकता है। लागू नियामकीय शर्तों के अधीन, किसी अप्रवासी भारतीय (NRI) के करीबी रिश्तेदार को मौजूदा/नए निवासी बैंक अकाउंट में निवासी खाताधारक के साथ "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" आधार पर जॉइंट धारक के तौर पर शामिल किया जा सकता है।

RBI के KYC पर मास्टर दिशानिर्देश और बैंक की KYC नीति के अनुसार, बैंक OTP आधारित नॉन फेस टू फेस या वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से किसी ग्राहक का खाता खोल सकता है या Re-KYC कर सकता है या खाता अपग्रेड कर सकता है।
निष्क्रिय अकाउंट के गैर-संचालन / एक्टिवेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

1.1.1.1. <u>नाबालिग खाता</u>

कानूनी तौर पर, नाबालिग वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु कानूनी तौर पर 18 वर्ष से कम है। नाबालिग के नाम से खाता खोला जा सकता है और इसे खाता खोलते समय बताए गए प्राकृतिक या कानूनी तौर पर नियुक्त अभिभावक द्वारा संचालित किया जा सकता है।

साथ ही, 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के नाबालिग, जो पढ़ और लिख सकते हैं, अपनी इच्छा से खुद बचत खाता खोल सकते हैं।
प्राकृतिक अभिभावक द्वारा संचालित नाबालिग खातों पर सरकार/RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंध लागू होंगे। नाबालिगों को ओवरड्राफ्ट या लोन/एडवांस की सुविधा नहीं दी जाएगी। उत्पाद से संबंधित विशेष सुविधाएं बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएंगी।

अगर किसी नाबालिग का खाता उसका अभिवावक संचालित कर रहा है, तो नाबालिग के 18 वर्ष का होने पर खाता संचालन पर अभिभावक का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

नाबालिग के वयस्क होने पर, अभिभावक को नाबालिग के साथ निकटतम शाखा में जाकर ज़रूरी KYC दस्तावेज़, यानी पहचान दस्तावेज़ और पते के प्रमाण के साथ ही बैंक की KYC नीति के अनुसार नवीनतम फ़ोटो और हस्ताक्षर का नमूना देकर नाबालिग अकाउंट को नियमित अकाउंट में बदलवाना होगा।
खाते में उपलब्ध शेषराशि उस नाबालिग की विशेष संपत्ति मानी जाएगी जो अब बालिग हो गया है; और इसके बाद अकाउंट से पैसे निकालने की अनुमति सिर्फ़ उसे या प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अभिभावक को दी जाएगी। ग्राहक ध्यान दें कि ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने पर बैंक द्वारा इन नाबालिग खातों के मामले में अपने विवेक के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

1.1.1.2. <u>अनिवासी बचत खाता</u>

कोई भी अनिवासी भारतीय (NRI) या भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO), NRE या NRO बचत खाता खोल सकता है।

NRE / NRO जॉइंट खाता के मामले में, घरेलू करीबी रिश्तेदार को मौजूदा / नए निवासी बैंक अकाउंट में निवासी के साथ "पूर्व या उत्तरजीवी" आधार पर जॉइंट धारक के तौर पर शामिल किया जा सकता है, बशर्ते लागू नियामक शर्तें पूरी हों। PIO/OCI कार्ड धारक जो एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहता है, वह प्रक्रिया के अनुसार ज़रूरी KYC दस्तावेज़ जमा करके निवासी बचत खाता खोल सकता है। बैंक की ओर से ग्राहकों की आवासीय स्थिति के बारे में समय-समय पर उचित जांच-पड़ताल की जाएगी।

NRE बचत खातों के लिए, भारत के बाहर से आवक प्रेषण, खाते पर मिलने वाला ब्याज, निवेश पर ब्याज, दूसरे NRE/FCNR(B) खातों से ट्रांसफर, निवेश की मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा (अगर वे निवेश इस खाते से या बाहर से आए धन से किए गए थे), मौजूदा आय जैसे किराया, डिविडेंड, पेंशन, ब्याज आदि से मिले धन को जमा करने की अनुमति मिलती है, बशर्ते कि ऐसे क्रेडिट अपनी प्रत्यावर्तनीय प्रकृति बनाए रखें। इन खातों में लोकल भुगतान, भारत के बाहर पैसे भेजना, दूसरे NRE/FCNR(B) खातों में ट्रांसफर और भारत में निवेश के द्वारा धन निकालने की अनुमति है।

NRO बचत खातों के लिए, NRO बचत खातों में भारत के बाहर से आवक प्रेषण, भारत में वैध देयताएँ और दूसरे NRO अकाउंट से ट्रांसफर, किसी निवासी द्वारा NRI/PIO रिश्तेदार को 'लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम' के तहत तय सीमा के अंदर रुपये में दिया गया उपहार/ऋण आदि से मिले धन को जमा करने की अनुमति मिलती है। इन खातों में लोकल भुगतान. दूसरे NRO खातों में ट्रांसफर या मौजूदा आय को विदेश में भेजने के लिए धन निकालने की अनुमति है। NRO खातों में शेष राशि को NRIs और PIOs के माध्यम से 10 लाख USD तक विदेशी प्रेषण को छोड़कर विदेश नहीं भेजा जा सकता, यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन (परिसंपत्तियों का प्रेषण) विनियम, 2016 में उल्लिखित शर्तों के अधीन है। इस 10 लाख USD की सुविधा के तहत फंड NRE खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है।

1.1.1.3. <u>बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट अकाउंट (BSBDA)</u>

"बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट अकाउंट" का मतलब है वित्तीय समावेशन के लिए खोला गया डिमांड डिपॉज़िट अकाउंट। ये खाते नो योर कस्टमर (KYC)/एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) नियमों पर RBI के दिशानिर्देशों के अधीन होते हैं और RBI के मास्टर दिशानिर्देशों और बैंक की KYC नीति में बताए गए आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (OVD) या डीम्ड OVD के आधार पर पूर्ण KYC खाते के तौर पर खोले जाते हैं। अगर यह खाता सरलीकृत KYC नियमों के आधार पर या बिना KYC के खोला जाता है, तो उस खाते को 'लघु खाता' भी माना जाएगा। इस उत्पाद की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कृपया ध्यान दें

- नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, एक व्यक्ति का सिर्फ़ एक BSBDA खाता हो सकता है और वह DBIL में कोई दूसरा बचत खाता खोलने के लिए पात्र नहीं है।
- अगर किसी ग्राहक का DBIL में कोई और बचत खाता है, तो BSBDA खोलने के 30 दिनों के अंदर ग्राहक को वह खाता बंद करना होगा।
- बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि अगर ग्राहक BSBDA खोलने के 30 दिनों के अंदर, नियामक दिशानिर्देशों के तहत, दूसरा बचत खाता (अगर कोई हैं) बंद नहीं करता है तो बैंक द्वारा उस खाते को बंद किया जा सकता है।

1.1.2. <u>चालू खाता</u>

ये खाते व्यक्तियों, एकल स्वामित्व/साझेदारी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फ़र्म / प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ / HUF / सोसायटी / ट्रस्ट इत्यादि द्वारा खोले जा सकते हैं। चालू खाते में जमा धन पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। DBIL में कई तरह के चालू खातों की सुविधा उपलब्ध है।

1.1.3. विदेशी मुद्रा खाता

FCY खाते (विदेशी मुद्रा खाता) को भारतीय निवासी ग्राहक RBI द्वारा निर्धारित लेनदेन के लिए खोल सकते हैं।

1.1.4. विशेष अनिवासी रुपी अकाउंट

SNRR खाता (विशेष अनिवासी रुपी अकाउंट) RBI द्वारा उल्लिखित नियमों के अनुसार उन व्यक्तियों द्वारा खोला जा सकता है जो भारत में निवास नहीं करते हैं।

1.1.5. सावधि जमा

फ़िक्सड डिपॉज़िट (FD) को बैंक द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है और इनमें सावधि जमा तथा आवर्ती जमा जैसे डिपॉज़िट शामिल होते हैं। FD को व्यक्तियों या संगठनों द्वारा बैंक की शाखा में या डिजिटल चैनलों के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके खोला जा सकता है। इसमें ब्याज भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज/ साधारण ब्याज/ तिमाही भुगतान या मासिक भुगतान और मैच्योरिटी के विकल्प जैसे मूलधन और ब्याज का स्वचालित नवीनीकरण (ऑटो-रिन्यूअल) / सिर्फ़ मूलधन का स्वचालित नवीनीकरण और ब्याज को संबंधित बैंक खाते में क्रेडिट / पूरी रकम (मूलधन और ब्याज सहित) को संबंधित बैंक खाते में क्रेडिट / डिमांड ड्राफ्ट जारी करना / NEFT/ RTGS / IMPS / UPI के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण (digibank मोबाइल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए बुक की गई सावधि जमा पर लागू नहीं) आदि।

ऊपर बताई गई व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत बैंक द्वारा विशेष ग्राहक वर्गों के लिए अ-प्रतिदेय (पूँजीगत) जमा, बेंचमार्क लिंक्ड फ्लोटिंग रेट डिपॉज़िट आदि जैसी खास खूबियों वाले अलग-अलग उत्पाद उपलब्ध हैं।

1.1.5.1. आवर्ती जमा

इन डिपॉज़िट में, हर महीने एक तय रकम एक निश्चित रिटर्न दर पर निवेश किया जाता है। मैच्योरिटी की तारीख पर, या RD को समय से पहले बंद करने पर, ग्राहक को मूलधन उस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज के साथ मिलेगा, जिसमें से अगर कोई पेनल्टी लगी है तो उसे काट लिया जाएगा।

1.1.6 अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) से संबंधित जमा

बैंक द्वारा NRI और PIO को FCNR (B) डिपॉज़िट, NRE डिपॉज़िट और NRO डिपॉज़िट की सुविधा दी जाती है।

NRE / NRO डिपॉज़िट के लिए, ब्याज दरें बैंक द्वारा समान घरेलू रुपी सावधि जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरों से अधिक नहीं होंगी।

NRE और NRO डिपॉज़िट के मामले में, बैंक के अपने कर्मचारियों या वरिष्ठ तथा अति वरिष्ठ नागरिक होने की वजह से अतिरिक्त ब्याज दर के फायदे उपलब्ध नहीं हैं। (अगर कोई हो)

यह नीति सिर्फ़ DBS Bank India Ltd द्वारा प्रदान की जाने वाली डिपॉज़िट पर लागू होती है।

अनुमति प्राप्त डेबिट/क्रेडिट, जमा की अवधि, जमा पर ब्याज़ दर, समय से पहले निकासी, ग्राहक की आवासीय स्थिति बदलने पर निवासी खाते में रूपांतरण और खाते का संचालन, नॉमिनेशन की सुविधा, मृतक के खाते का संचालन, आदि RBI के मास्टर दिशानिर्देशों में बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार हैं।

FCNR (B) स्कीम के तहत सावधि जमा पर ब्याज दर में बदलाव सिर्फ़ नीचे दिए गए एक या अधिक कारणों से होता है:

- जमा की अवधि: FCNR (B) स्कीम के तहत सावधि जमा की मैच्योरिटी अवधि इस प्रकार है:
    - एक वर्ष और उससे अधिक लेकिन दो वर्ष से कम
    - दो वर्ष और उससे अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम
    - तीन वर्ष और उससे अधिक लेकिन चार वर्ष से कम
    - चार वर्ष और उससे अधिक लेकिन पाँच वर्ष से कम
    - केवल पाँच वर्ष
- जमा का आकार: DBIL अपने विवेक से करेंसी के अनुसार न्यूनतम राशि तय करता है जिसपर अलग-अलग ब्याज दरें लागू की जाती हैं।
- FCNR (B) डिपॉज़िट पर मिलने वाले ब्याज भुगतान को दो दशमलव स्थानों तक राउंड ऑफ़ किया जाता है।

ब्याज दरों के लिए अधिकतम दरें समय-समय पर लागू नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर तय होंगी।

1.1.7. <u>निवासी विदेशी मुद्रा खाते</u>

RFC जमा स्थाई तौर से भारत लौटने वाले अनिवासी भारतीयों/PIOs पर लागू होता है, जिसमें उनकी स्थिति अनिवासी से बदलकर निवासी हो जाती है। बैंक द्वारा निवासी विदेशी मुद्रा खाता स्कीम के तहत (अगर पात्र हो) अपने द्वारा स्वीकार या नवीनीकृत किए गए डिपॉज़िट पर ब्याज, एसेट्स ऐंड लायबिलिटीज कमेटी (ALCO) द्वारा स्वीकृत जमा पर ब्याज दर के अनुसार तय किया जाएगा। जब अनिवासी भारतीय (NRI) की निवासी स्थिति बदलकर निवासी हो जाती है, तो अनिवासी बाहरी (NRE) खाता और/या विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [FCNR (B)] खाता की शेष राशि खाताधारक की मर्ज़ी से RFC खाते में क्रेडिट की जा सकती है।

1.1.8. <u>सावधि जमा के बदले ओवरड्राफ्ट / जमा ऋण</u>

ग्राहक आवश्यक दस्तावेजों के निष्पादन के साथ ग्राहक / जमाकर्ता द्वारा विधिवत मुक्त सावधि जमा के बदले ओवरड्राफ्ट सुविधा या डिपॉज़िट पर लोन के लिए अनुरोध कर सकता है। बैंक द्वारा ब्याज दर (ROI), अवधि आदि से संबंधित दिशानिर्देश तय किए जाएंगे और यह समय-समय पर जारी नियामक दिशानिर्देशों और बैंक की क्रेडिट नीति के अनुसार होगा। अगर डिपॉज़िट की मैच्योरिटी से मिलने वाली रकम लिए गए ऋण और उस पर लगे/डेबिट किए गए ब्याज को चुकाने के लिए काफी है, तो बैंक जमाकर्ता को सूचित कर सेट ऑफ़ का अधिकार इस्तेमाल कर सकता है और डिपॉज़िट एवं डिपॉज़िट पर लोन दोनों को बंद कर सकता है।

2. खाता खोलना

बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध विभिन्न प्रकार के खातों का विवरण दिया जाएगा, ग्राहक अपनी ज़रूरतों, आवश्यकताओं और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप सबसे उपयुक्त खाता प्रकार चुन सकते हैं।

खाता खोलने के लिए, बैंक को अपनी "अपने ग्राहक को जानें" (KYC) नीति और RBI द्वारा जारी KYC दिशानिर्देश और अन्य नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहक के दस्तावेज़ और जानकारियों की ज़रूरत होती है। बैंक जिस उचित जांच-पड़ताल प्रक्रिया का पालन करता है, उसमें दस्तावेजों की जांच करना, ग्राहक की पहचान, पता, पेशे या बिज़नेस के बारे में जानकारी और फंड का स्रोत सत्यापित करना शामिल होगा। उचित जांच-पड़ताल प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर, बैंक को खाते के प्रकार (फ़िज़िकल / डिजिटल) के अनुसार सभी जमा / खताधारकों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की हाल की रंगीन फोटो की ज़रूरत होगी। बैंक के लिए PMLA (प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) दिशानिर्देशों का पालन करना भी ज़रूरी है, जिसमें भारत सरकार समय-समय पर बदलाव करती रहती है।

बैंक को ग्राहकों से स्थायी खाता संख्या (PAN), या इसके बदले इनकम टैक्स एक्ट/नियमों के तहत निर्धारित फ़ॉर्म नंबर 60 या 61 में घोषणा लेना ज़रूरी है।

ग्राहकों की KYC जानकारी को ग्राहक की प्रोफ़ाइल और बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम रेटिंग के आधार पर समय-समय पर अपडेट करना होगा।

बैंक ग्राहकों को खाता खोलने के लिए खाता खोलने का फ़ॉर्म और अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ देगा। बैंक से ग्राहकों को सत्यापन प्रक्रिया के लिए ज़रूरी जानकारी का पूरा विवरण मिलेगा।

ग्राहक विभिन्न उपलब्ध तरीकों में से किसी भी तरीके से खाता खोल सकता है, जैसे डिजिटल बचत बैंक खाता खोलने के लिए लागू ऐप स्टोर से DBS बैंक का digibank एप्लिकेशन डाउनलोड करना और आधार संख्या द्वारा डिजिटल खाता खोलने के लिए अपनी मर्ज़ी से अपना आधार नंबर और PAN दर्ज करके और बैंक को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण देकर या वीडियो-आधारित ग्राहक प्रमाणीकरण प्रक्रिया (V-CIP) के माध्यम से प्रक्रिया पूरा करना, जो खास तौर पर भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा किया जा सकता है। ग्राहक ब्रांच में जाकर, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट या बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट के ज़रिए फिजिकल तरीके से भी खाता खोल सकते हैं।

बैंक के पास बैंक द्वारा समय-समय पर तय की गई नीति के आधार पर, अपने विवेक से खाता खोलने का अधिकार सुरक्षित है।

ग्राहक समय-समय पर बैंक द्वारा दिए जाने वाले अन्य बैंकिंग उत्पाद /सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, जो DBS के digibank मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म या किसी भी शाखा में उपलब्ध हो सकते हैं।

बैंक द्वारा प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग (रिकॉर्ड्स का रखरखाव) नियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहक का KYC डेटा नए व्यक्तिगत और संस्थागत खातों से संबंधित OVD के साथ CERSAI (CKYCR) पर अपलोड किया जाएगा। बैंक द्वारा खाता खोलने या बाद में KYC अपडेट करने के लिए CKYC नंबर या PID विवरण के आधार पर किसी अन्य वितीय संस्थानों में ग्राहक द्वारा किए गए ग्राहक का KYC डेटा और OVD ग्राहक से खास सहमति ले कर CERSAI (CKYCR) से डाउनलोड भी किया जाएगा।

ग्राहक अपने किसी भी सवाल के लिए बैंक से विभिन्न तरीकों, जैसे कस्टमर केयर नंबर, ऐप में, ईमेल और/या शाखा में जाकर आदि से संपर्क कर सकते हैं, जो बैंक समय-समय पर उपलब्ध कराता रहता है। बैंक द्वारा जल्द से जल्द सवाल का जवाब देने/ कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा।

3. ब्याज

बैंक सावधि जमा की दरें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर तय करता है। नियामक द्वारा मंज़ूर ग्राहक श्रेणियों के लिए, जैसे कि DBS कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिकों तथा अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, बैंक अपने विवेक से, सामान्य बैंक दर के अतिरिक्त अधिकतम एक प्रतिशत प्रतिवर्ष तक अतिरिक्त ब्याज प्रदान कर सकता है। यह सुविधा केवल बचत खाते, रैक रेट. सावधि जमा तथा आवर्ती जमा पर लागू होगी। अतिरिक्त ब्याज दर DBIL बैंक के कर्मचारियों को बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए अनुसार प्रदान की जाएगी। DBIL के HR डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई कर्मचारियों की सूची के अनुसार, अक्टूबर 2022 को या उससे पहले रिटायर हो चुके e-LVB कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान की जा रही है। यह विशेष सुविधा HR डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई सूची के अनुसार खासतौर पर रिटायर हो चुके कर्मचारियों को या रिटायर हो चुके मृत कर्मचारी के जीवनसाथी को दी जाती है। यह RBI दिशानिर्देशों के अनुसार है, जिनके अनुसार बैंक अपने विवेक से बचत खाते या सावधि जमा खाते पर सामान्य ब्याज दर से अधिकतम एक प्रतिशत प्रतिवर्ष तक अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान कर सकता है, यदि खाता निम्नलिखित के नाम पर खोला गया हो::

a. बैंक के कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी, अकेले या अपने परिवार के किसी एक सदस्य या कई सदस्यों के साथ मिलकर; या
b. बैंक का कोई मृत कर्मचारी या मृत सेवानिवृत्त कर्मचारी का जीवनसाथी।

सावधि जमा पर ब्याज़ की गणना हर तीन महीने में या मौजूदा दिशानिर्देशों में निर्धारित अवधि के अनुसार की जाएगी और निर्धारित अवधि के लिए बैंक द्वारा तय दर पर भुगतान किया जाएगा।

मासिक भुगतान के मामले में, ब्याज रियायती दर पर दिया जाता है।
ब्याज का भुगतान निकटतम रुपये में राउंड ऑफ़ किया जाता है।

अगर कोई डिपॉज़िट, मैच्योरिटी से पहले निवासी ग्राहकों के लिए बुकिंग के 7 दिनों के अंदर और अनिवासी ग्राहकों के लिए 1 वर्ष के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो इसपर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) कोड फ़ॉर बैंकिंग प्रैक्टिस को जारी किया गया है जिसे सदस्य बैंकों द्वारा समान रूप से अपनाया जाता है। इस कोड का उद्देश्य न्यूनतम मानक तय करके अच्छी बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना है, जिनका पालन बैंक अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय करेगा।
बैंक सावधि जमा पर ब्याज़ की गणना इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा निर्धारित सूत्रीकरण और परंपराओं के अनुसार करता है।

IBA ने घरेलू सावधि जमा पर ब्याज की गणना करने के उद्देश्य से तय किया है कि जो डिपॉज़िट तीन महीने से कम समय में वापस किए जाने हैं या जहाँ आखिरी तिमाही अधूरी है, वहाँ ब्याज का भुगतान असल दिनों के हिसाब से आनुपातिक रूप से किया जाएगा। बैंक द्वारा डिपॉज़िट पर ब्याज की गणना के लिए उपरोक्त पद्धति का पालन किया जाता है। उदाहरण: अगर जमा 7 महीने की अवधि के लिए है, तो ब्याज का भुगतान 2 तिमाही के लिए किया जाएगा और बची हुई अवधि के लिए ब्याज का भुगतान दिनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। इस गणना के लिए, एक वर्ष में दिनों की संख्या लीप वर्ष में 366 दिन और अन्य वर्षों में 365 दिन मानी जाएगी।

बैंक ब्याज राशि और टैक्स देनदारी की गणना करते समय सभी शाखाओं में खुले सभी सावधि जमा को एक ही CIF के तहत मानता है।

बैंक सावधि जमा की मैच्योरिटी के संबंध में हमेशा ग्राहकों से निर्देश लेता है और अगर ये निर्देश नहीं मिलते हैं या जमा अतिदेय हो जाते हैं, तो मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बचत खाते पर लागू ब्याज दर या अनुबंधित दर, जो भी कम होगा, लागू की जाएगी।

"**बल्क डिपॉज़िट**" शब्द का उपयोग 3 करोड़ INR (समतुल्य विदेशी मुद्रा की राशि) और उससे अधिक के सिंगल रुपी फ़िक्स्ड डिपॉज़िट / FCNR (B) डिपॉज़िट के लिए किया जाएगा। बैंक एक ही मैच्योरिटी राशि के बल्क डिपॉज़िट पर अलग-अलग ब्याज दर दे सकता है।

INR 3 करोड़ से कम के डिपॉज़िट के लिए, उतनी ही मैच्योरिटी राशि के डिपॉज़िट पर लगने वाली समान दर यानी कार्ड दर लागू होगी। रुपी सावधि जमा में घरेलू सावधि जमा के साथ-साथ NRO और NRE अकाउंट के तहत सावधि जमा भी शामिल होगा।

INR 3 करोड़ से कम के डिपॉज़िट के लिए कार्ड दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, और ज़रूरी बदलावों को मंज़ूरी के लिए ALCO के पास भेजा जाएगा। बल्क डिपॉज़िट के लिए अलग-अलग दरें संपत्ति / देयता ज़रूरतों के आधार पर तय की जाएंगी और वही दरें समान राशि और अवधि के जमा पर भी लागू होंगी।

डिपॉज़िट पर ब्याज दर और डिपॉज़िट स्कीमों और अन्य संबंधित सेवाओं में किसी भी बदलाव की जानकारी शाखा परिसर में प्रदर्शित करके और बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करके अग्रिम रूप से दी जाएगी।

अगर कोई NRE खाताधारक, भारत लौटने पर तुरंत NRE सावधि जमा को निवासी विदेशी मुद्रा खाता (RFC) में बदलने का अनुरोध करता है, तो ब्याज़ का भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

i) अगर NRE डिपॉज़िट कम से कम एक वर्ष तक नहीं चला है, तो उस पर ब्याज का भुगतान RFC अकाउंट में खुले सेविंग डिपॉज़िट पर मिलने वाले ब्याज की दर से अधिक नहीं होगा, बशर्ते, इस रूपांतरण के लिए अनुरोध NRE खाताधारक के भारत लौटने के तुरंत बाद की जाए।
ii) अन्य सभी मामलों में, ब्याज का भुगतान अनुबंध में तय दर पर किया जाएगा।

किसी अवकाश के दिन मैच्योर होने वाला डिपॉज़िट अगले कार्य दिवस पर अपने आप मैच्योर हो जाएगा और ग्राहक को अतिरिक्त दिन/दिनों का ब्याज़ शुरुआती डिपॉज़िट बुकिंग के समय तय दर पर ही मिलेगा।

ग्राहक डिपॉज़िट करते समय या मैच्योरिटी की तारीख पर डिपॉज़िट मैच्योरिटी की राशि के बारे में डिपॉज़िट का आगे की अवधि के लिए नवीकरण करने के लिए निर्देश दे सकता है।

व्यक्तिगत/HUF/ट्रस्ट/सोसायटी के सावधि जमा के मामले में, जहां मैच्योरिटी के निर्देश उपलब्ध नहीं हैं, या ऐसे मामलों में जहां मैच्योरिटी की तारीख से पहले ग्राहक से जवाब नहीं मिलता है, बैंक मैच्योरिटी की तारीख के बारे में जमाकर्ता को पहले से सूचित करेगा और डिपॉज़िट को मूल डिपॉज़िट के समान अवधि के लिए, मौजूदा ब्याज दर पर नवीनीकृत कर देगा। अन्य प्रकार के डिपॉज़िट के लिए, बैंक मैच्योरिटी की राशि को ग्राहक के बचत /चालू खाते में क्रेडिट कर देगा। अगर किसी ग्राहक का बैंक में बचत/चालू खाता नहीं है, तो मैच्योरिटी का पैसा मैच्योरिटी निर्देश में दिये गए ग्राहक के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, अन्यथा मैच्योरिटी का पैसा ग्राहक के अगले निर्देश तक अतिदेय जमा के तौर पर बैंक में ही रहेगा और इस अतिदेय जमा पर ब्याज का भुगतान समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा।

अगर किसी व्यक्ति के सभी सावधि जमा पर भुगतान किया जाने वाला/देय कुल ब्याज़ इनकम टैक्स एक्ट और CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेशन) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत तय रकम से अधिक हो जाता है, तो स्रोत पर टैक्स की कटौती करना बैंक की कानूनी ज़िम्मेदारी है। बैंक हर तीन महीने पर काटे गए टैक्स के लिए टैक्स डिडक्शन सर्टिफ़िकेट (TDS सर्टिफ़िकेट) जारी करेगा। TDS दरें नियमों के अनुसार लागू होंगी। अगर जमाकर्ता TDS से छूट का हकदार है, तो वह हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में फ़ॉर्म 15G/H में घोषणा को जमा कर सकता है।

FCNR(B) डिपॉज़िट पर ब्याज का भुगतान:

(a) इस स्कीम के तहत जमा की गई रकम पर ब्याज की गणना एक वर्ष में 360 दिनों के आधार पर की जाती है।
(b) ब्याज की गणना और भुगतान हर 180 दिनों के अंतराल पर और उसके बाद बाकी बचे दिनों की असल संख्या के लिए किया जाता है।

जमाकर्ता के पास मैच्योरिटी पर चक्रवृद्धि प्रभाव के साथ ब्याज़ पाने का विकल्प होगा।
बैंक FCNR(B) डिपॉज़िट के नवीनीकरण पर ब्याज की गणना मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार करेगा।
भारतीय राष्ट्रीयता / मूल के वे व्यक्ति जो स्थायी रूप से भारत लौटते हैं, उनके FCNR (B) डिपॉज़िट, अनुबंधित ब्याज दर पर मैच्योरिटी तक जारी रहेंगे, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

a) FCNR (B) डिपॉज़िट पर लागू ब्याज दर जारी रहेगी।
b) यह डिपॉज़िट ग्राहक के भारत लौटने की तारीख से रेज़िडेंट डिपॉज़िट माना जाएगा।
c) इस FCNR (B) डिपॉज़िट की समय से पहले निकासी पर स्कीम के पेनाल्टी प्रावधान लागू होंगे।
d) FCNR (B) डिपॉज़िट को मैच्योरिटी पर ग्राहक की पसंद के अनुसार रेज़िडेंट रूपी डिपॉज़िट अकाउंट या RFC खाते (अगर पात्र हो) में बदल दिया जाएगा।

<u>सावधि जमा की मैच्योरिटी से पहले निकासी</u>

बैंक अपने विवेक से सावधि जमा को समय से पहले निकालने की अनुमति देने का अधिकार रखता है। बैंक सावधि जमा से आंशिक निकासी की अनुमति केवल तभी देता है, जब डिपॉज़िट किसी विशेष स्कीम के तहत बुक किया गया हो और जो बचत/चालू खाता से जुड़ा हो। अगर समय से पहले पैसे निकालने की अनुमति मिलती है, तो डिपॉज़िट पर RBI द्वारा तय किए गए मौजूदा नियमों, साथ ही बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज और पेनल्टी का भुगतान लागू हो सकता है, जो बैंक की वेबसाइट पर समय-समय पर उपलब्ध और अपडेट होती रहती हैं।

बैंक की ओर से सभी जमाकर्ताओं के लिखित/ऑनलाइन अनुरोध पर, निवासी/NRO सावधि जमा और NRE/FCNR डिपॉज़िट को मैच्योरिटी की तारीख से पहले निकालने की अनुमति दी जाएगी।

- अगर आप डिपॉज़िट को समय से पहले बंद करते हैं, तो डिपॉज़िट पर ब्याज उस अवधि के लिए दिया जाएगा, जितने समय तक डिपॉज़िट बैंक के पास रहा है, और यह ब्याज उस अवधि के लिए लागू दर पर ही दिया जाएगा (बैंक द्वारा समय-समय पर तय पेनल्टी चार्ज काटने के बाद), अनुबंधित दर पर नहीं।

- NRE/FCNR डिपॉज़िट से समय से पहले निकासी की स्थिति में ब्याज केवल तभी दिया जाएगा जब निकासी एक वर्ष के बाद की गई हो। बशर्ते, जिस अवधि के लिए वह डिपॉज़िट राशि रखी गई है, उस पर ब्याज जमा करने की तारीख को प्रचलित दर पर, बैंक द्वारा समय-समय पर तय पेनल्टी चार्ज की कटौती के बाद दिया जाएगा।
- FCNR डिपॉज़िट के लिए, समय से पहले पैसे निकालने पर होने वाली कोई भी एक्सचेंज हानि, ग्राहक को स्वयं वहन करनी होगी।
- अगर सावधि जमा को बुक करने के 7 दिनों के अंदर समय से पहले निकासी/बंद किया जाता है, तो कोई ब्याज़ नहीं दिया जाएगा।

यह दंड शुल्क संरचना (जैसा कि बैंक समय-समय पर निर्धारित करता है) निम्नलिखित पर लागू होती है

- व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत डिपॉज़िट
- किसी भी राशि का FCNR डिपॉज़िट।

इस पेनल्टी शुल्क में बदलाव या इससे छूट बैंक द्वारा तय ज़रूरी मंजूरी पर निर्भर होगी।

NRE सावधि जमा (FCNR सहित) को निवासी विदेशी मुद्रा (RFC) खाते में बदलने के लिए, समय से पहले निकासी करने पर, बैंक समय से पहले निकासी के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा।

बैंक अपने विवेक से, FCNR डिपॉज़िट को समय से पहले निकालने पर स्वैप लागत की वसूली के लिए पेनल्टी लगा सकता है। अगर भुगतान किया गया ब्याज देय ब्याज से अधिक है, तो अधिक ब्याज की रकम डिपॉज़िट की रकम में से वसूल की जाएगी। हालांकि, अगर NRE/FCNR डिपॉज़िट की समय से पहले निकासी इसकी डिपॉज़िट या नवीनीकरण की तारीख से 1 (एक) वर्ष पूरा होने से पहले की जाती है, तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।
बैंक, अपने विवेक से, व्यक्तियों, संस्थाओं और HUF के बल्क डिपॉज़िट की (3 करोड़ रुपए और उससे अधिक के) समय से पहले निकासी करने की अनुमति नहीं दे सकता है, जैसा कि जमा करते समय लागू नियमों और शर्तों में बताया गया है।

अगर मृत जमाकर्ताओं या जॉइंट खाताधारकों के दावेदारों के अनुरोध पर सावधि जमा की रकम का बंटवारा किया जाता है, तो सावधि जमा की समय से पहले निकासी पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, बशर्ते जमा की अवधि और कुल रकम में कोई बदलाव नहीं किया गया हो।

5. <u>टैक्स सेवर डिपॉज़िट</u>

- किसी भी रकम की कर बचत सावधि जमा पाँच वर्ष की तय अवधि के लिए होगी।
- किसी भी सावधि जमा को उसे जमा करने की तारीख से पांच वर्ष पूरा होने से पहले नहीं निकाला जा सकता है।
- टैक्स सेवर डिपॉज़िट के बदले कोई ऋण नहीं दिया जाएगा।

हालांकि, खाताधारक की मौत होने पर, नॉमिनी या कानूनी वारिस या दावेदार या जॉइंट डिपॉज़िट के मामले में, डिपॉज़िट के बचे हुए धारक, शाखा में आवेदन देकर और डिपॉज़िट के पहले धारक की मौत का सबूत देकर, सावधि जमा को मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं।

6. <u>निरक्षर / दृष्टिबाधित / दृष्टिबाधित निरक्षर व्यक्ति का खाता</u>

बैंक बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करके निरक्षर व्यक्ति के लिए चालू खाते के अलावा अन्य जमा खाते खोल सकता है। ऐसे व्यक्तियों के खाते इस शर्त पर खोले जा सकते हैं कि वे स्वयं बैंक में उपस्थित हों और उनके साथ एक ऐसा गवाह हो जिसे जमाकर्ता और बैंक दोनों जानते हों। डिपॉज़िट की रकम और/या ब्याज की निकासी/वापसी के समय, खाताधारक को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के

सामने, अपने अंगूठे का निशान या छाप लगाना होगा और अधिकारी उस व्यक्ति की पहचान का सत्यापन करेगा।

बैंक अधिकारी निरक्षर / दृष्टिबाधित / दृष्टिबाधित निरक्षर व्यक्ति को उत्पादों और सुविधाओं के साथ-साथ खाते को संचालित करने से संबंधित नियम और शर्तें समझाएंगे।

बैंक सुनिश्चित करेगा कि खाता खोलने की सभी औपचारिकताएं बैंक के परिसर में ही पूरी की जाएगी और किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां इस नियम में छूट देना ज़रूरी हो, वहां बैंक की ओर से विवरण सत्यापित करने और खाता खोलने के विधिवत भरे गए फ़ॉर्म के साथ फोटो और अन्य दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए एक अधिकृत अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है।

<u>बुजुर्ग और अक्षम व्यक्तियों या ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदी, मानसिक बीमारी और मानसिक विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा खातों का संचालन -</u>

बीमार/बुजुर्ग/अक्षम गैर-पेंशन खाताधारकों के लिए सुविधा

बीमार / बुजुर्ग / अक्षम खाताधारकों के मामले निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

- एक खाताधारक जो इतना बीमार है कि वह बैंक से पैसे निकालने के लिए चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता / शारीरिक तौर पर बैंक में उपस्थित नहीं हो सकता, लेकिन चेक/विड्रॉल फ़ॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान लगा सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक की जानकारी में दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा इसकी पहचान की जानी चाहिए, जिनमें से एक बैंक का अधिकारी होना चाहिए।
- एक खाताधारक जो किसी शारीरिक अक्षमता के कारण न सिर्फ शारीरिक तौर से बैंक में मौजूद नहीं हो सकता, बल्कि चेक/विड्रॉल फ़ॉर्म पर अपना अंगूठे का निशान भी नहीं लगा सकता है। ऐसे मामलों में, चेक/विड्रॉल फ़ॉर्म पर एक निशान लगवाया जा सकता है जिसे दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा पहचाना जाना चाहिए, जिनमें से एक बैंक का अधिकारी होगा।
- विशेष परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए जिला न्यायालय/कलेक्टर के द्वारा "अभिभावक" नियुक्त करने के आदेशों पर विचार किया जाएगा। शाखाएं ग्राहकों या उनके अभिभावकों को उचित दिशानिर्देश देंगी ताकि उन्हें कोई कठिनाई न हो।
- ग्राहक से बैंक को यह बताने के लिए भी कहा जा सकता है कि चेक/विड्रॉल फ़ॉर्म के आधार पर बैंक से पैसे कौन निकालेगा और उस व्यक्ति की दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा पहचान की जानी चाहिए। जो व्यक्ति बैंक से पैसे निकालेगा, उसे बैंक को अपना पहचान पत्र और हस्ताक्षर का नमूना साझा करना होगा।

ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदी, मानसिक बीमारी और मानसिक विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति के लिए बैंक खाता खोलने/चलाने के उद्देश्य से, बैंक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के तहत ज़िला अदालतों और ज़िलों के कलेक्टरों द्वारा जारी किए गए आदेशों/प्रमाणपत्रों को स्वीकार करेगा और/या ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदी और बहु विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के अनुसार, स्थानीय स्तर की समिति द्वारा विकलांग व्यक्ति के

लिए अभिभावक की नियुक्ति की जाएगी, जो उस विकलांग व्यक्ति और उसकी संपत्ति की देखभाल करेगा।

जमा खातों का संचालन

धारकों को जोड़ना/हटाना

बैंक सभी जॉइंट खाताधारकों के अनुरोध पर, परिस्थितियों के अनुसार जॉइंट खाताधारक/धारकों के नाम जोड़ने या हटाने की अनुमति दे सकता है, या किसी एकल जमाकर्ता को किसी दूसरे व्यक्ति का नाम जॉइंट खाताधारक के तौर पर जोड़ने की अनुमति दे सकता है। हालांकि, सिर्फ़ खास स्थितियों में, जैसे कि मृतक क्लेम सेटलमेंट या अन्यथा ग्राहक के स्पष्ट अनुरोध पर मुख्य खाताधारक का नाम हटाया जा सकता है, अन्यथा नाम जोड़ने/हटाने के बाद मुख्य खाताधारक का नाम बनाए रखना ज़रूरी है।

मैंडेट

जमाकर्ता के विशेष अनुरोध पर, बैंक ग्राहक द्वारा दिया गया खाता संचालन मैंडेट रजिस्टर कर सकता है, जिसमें उनकी तरफ से किसी दूसरे व्यक्ति को खाता संचालन करने का अधिकार दिया गया हो।

न्यूनतम शेष राशि / सेवा शुल्क

बचत बैंक खाता (BSBDA को छोड़कर) और चालू खाता जैसे जमा उत्पादों के लिए, बैंक इन खातों के संचालन से संबंधित नियमों और शर्तों के अंतर्गत एक निश्चित न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की शर्त निर्धारित कर सकता है। अकाउंट में न्यूनतम धनराशि बनाए रखने में नाकाम रहने पर बैंक द्वारा समय-समय पर मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-रखरखाव शुल्क लगाया जाएगा। बैंक किसी भी उत्पाद/खाता पर एक तय समय में लेनदेन, नकद निकासी की संख्या आदि पर पाबंदियां भी लगा सकता है। इसी तरह, बैंक कुछ विशेष सेवा अनुरोधों जैसे चेकबुक जारी करना, अतिरिक्त खाता विवरण, डुप्लीकेट पासबुक, फ़ोलियो शुल्क आदि के लिए शुल्क भी ले सकता है। ग्राहकों के पास अपनी इच्छा के अनुसार अपने खाते के प्रकार को अपग्रेड या डाउनग्रेड करने का विकल्प भी होता है।
संभावित जमाकर्ता को खाता खोलते समय इन खातों के संचालन से संबंधित सभी नियमों और शर्तों तथा विभिन्न सेवाओं के लिए लागू शुल्कों की जानकारी प्रदान की जाएगी। ये शुल्क समय-समय पर बदल सकते हैं, और बैंक अपने विवेक से ग्राहक को इसकी जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशन, शाखा या अन्य संचार चैनलों के माध्यम से देगा।

नकद निकासी पर TDS

जैसा कि CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेशन) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों में बताया गया है, बचत/चालू खाते से नकद निकासी पर आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत TDS (स्रोत पर कर कटौती) लागू होगी।

वैल्यू डेटिंग

नए / नवीनीकृत डिपॉज़िट के लिए वैल्यू डेटिंग में बैंक की प्रक्रिया के अनुसार मौजूदा परंपराओं का पालन किया जाएगा।

करों की देयता

ग्राहक कानून के तहत लगाए जाने वाले और समय-समय पर लागू किसी भी वस्तु एवं सेवा कर या इसी तरह के किसी भी दूसरे करों के भुगतान के लिए स्वयं ज़िम्मेदार होगा। अगर कानून के अनुसार बैंक को इन करों को वसूल कर भुगतान करना आवश्यक है, तो बैंक इस भुगतान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

नामांकन सुविधा

व्यक्तियों द्वारा खोले गए सभी जमा खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। नामांकन की सुविधा एकल स्वामित्व वाली संस्था के खाते के लिए भी उपलब्ध है। हर खाते में सिर्फ़ एक व्यक्ति के पक्ष में नामांकन किया जा सकता है। ग्राहक खाता खोलते समय नॉमिनी का नाम बता सकता है या इस सुविधा को छोड़ सकता है। एक बार नामांकन हो जाने के बाद, ग्राहक उसे खाता चालू रहने तक कभी भी रद्द या संशोधित कर सकते हैं। संयुक्त खातों के मामले में नामांकन में संशोधन सभी खाताधारकों की सहमति से किया जा सकता है। नामांकन किसी संरक्षण के तहत नाबालिग के पक्ष में भी किया जा सकता है। बैंक सभी जमाकर्ताओं को नामांकन सुविधा का लाभ उठाने की सलाह देता है। नॉमिनी, जमाकर्ता की मृत्यु होने पर, अकाउंट में शेष रकम कानूनी वारिसों के ट्रस्टी के तौर पर प्राप्त करेगा। जॉइंट यानी संयुक्त खाते के मामले में, नॉमिनी का अधिकार सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु होने के बाद ही मिलता है। जमाकर्ता को जमा खाता खोलते समय नामांकन सुविधा के फायदों के बारे में बताया जाएगा। नॉमिनी चुनने के लिए FD एडवाइस, विवरण और पासबुक में हां या ना के विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा, ग्राहक FD एडवाइस या खाता विवरण में नॉमिनी का नाम प्रिंट करवाने का अनुरोध भी कर सकते हैं।

खाता विवरण और पासबुक - बैंक की ओर से बचत और चालू खाता ग्राहकों को हर महीने लेनदेन का विवरण निशुल्क प्रदान किया जाएगा। ग्राहक के अनुरोध पर, शुल्क लेकर आवश्यक अवधि के लिए खातों के विस्तृत विवरण दिए जा सकते हैं और बैंक की ओर से ग्राहक को इन शुल्कों के बारे में पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। खाता विवरण में उस अवधि के दौरान अकाउंट में किए गए सभी लेनदेन शामिल होंगे। बचत बैंक खाताधारक ग्राहक के विशेष अनुरोध पर बैंक की शाखा पासबुक जारी कर सकती है। खाता गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए, पासबुक को नियमित अपडेट करवाना ग्राहक की ज़िम्मेदारी है।

खाते का स्थानांतरण -

खाते देशभर में किसी भी शाखा से संचालित किए जा सकते हैं। हालांकि, अगर ग्राहक चाहें, तो वे बैंक की किसी भी शाखा या सर्विस यूनिट में खाता स्थानांतरित करने का विवरण और प्रक्रिया जान सकते हैं।

मृत व्यक्ति के खाते का प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के निर्देशानुसार, बैंक द्वारा मृत जमाकर्ताओं से संबंधित दावों के निपटान को यथासंभव सरल बनाने के लिए प्रक्रियाएँ अपनाई गई हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया बैंक की क्लेम सेटलमेंट पॉलिसी देखें।

लापता व्यक्ति के संबंध में दावों का निपटान

बैंक ने लापता व्यक्ति के संबंध में दावों के निपटारे के लिए जो प्रक्रिया अपनाई है, वह इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की धारा 107/108 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। क़ानून के अनुसार, किसी व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट किए जाने की तारीख से सात वर्ष बीत जाने के बाद ही उसकी मौत का अनुमान लगाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया बैंक की सेटलमेंट और क्लेम पॉलिसी देखें।

निष्क्रिय/असंचालित खाते

यदि किसी बचत या चालू खाते में एक वर्ष की अवधि तक ग्राहक द्वारा कोई भी वित्तीय या गैर-वित्तीय लेन-देन नहीं होता है, तो ऐसे खाते को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।
खाते को ग्राहक कोई भी वित्तीय लेनदेन करके सक्रिय कर सकता है - जैसे नकद जमा करना/निकालना, UPI लेनदेन, चेक जमा करना/निकालना, RTGS/IMPS/NEFT के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र करना या कोई गैर-वित्तीय लेनदेन जैसे बैंक ब्रांच में जाकर Re-KYC अपडेट करना, मोबाइल बैंकिंग ऐप/इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन करना या ATM का इस्तेमाल करके वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन करना आदि।

यदि किसी खाते में लगातार दो वर्षों तक ग्राहक द्वारा कोई भी लेन-देन नहीं किया जाता है, तो ऐसे खाते को **अप्रचालित / डॉर्मेंट** के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
इन खातों में ब्याज, अकाउंट की संचालन स्थिति की परवाह किए बिना नियमित तौर से क्रेडिट किया जाता है।
बैंक ने निवासी और अनिवासी दोनों ग्राहकों के लिए डॉर्मेंट अकाउंट को सक्रिय करने की एक प्रक्रिया तय की है। इन खातों में संचालन केवल तभी हो सकता है जब सभी खाताधारक खुद जाकर बैंक से खाते को सक्रिय करने के लिए अनुरोध करें और साथ ही दो वर्ष या उससे अधिक समय तक संचालन न होने का कारण बताएं और KYC दस्तावेज़ प्रस्तुत करें। खाते को ग्राहक की प्रोफ़ाइल के अनुसार उचित जांच-पड़ताल के बाद सक्रिय किया जाता है। उचित जांच-पड़ताल का मतलब है लेनदेन की वास्तविकता सुनिश्चित करना, हस्ताक्षर और पहचान का सत्यापन करना आदि।

दावा न किया गया डिपॉज़िट

किसी खाते को दावा न किया गया डिपॉज़िट माना जाएगा यदि:

i. बचत खाता के मामले में - ग्राहक की तरफ़ से 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक कोई लेनदेन नहीं किया जाता है।
ii. सावधि जमा के मामले में - FD की मैच्योरिटी की तारीख से 10 वर्ष तक कोई दावा नहीं किया जाता है।

ऐसे सभी खातों की रकम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26A के दिशानिर्देशों के अनुसार, खाता निष्क्रिय या दावा न किए जाने की स्थिति में रहने के लगातार 10 वर्ष पूरे होने के महीने से 1 महीने की अवधि के भीतर, RBI की "डिपॉज़िटर एजुकेशन ऐंड अवेयरनेस" (DEA) फ़ंड स्कीम में जमा कर दी जाएगी।

रिकॉर्ड रखना और आवधिक समीक्षा

DEA फ़ंड में राशि स्थानांतरित किए जाने की तिथि पर बैंक ग्राहक-वार विवरण सुरक्षित रखेगा, जिन्हें समकालिक लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित किया जाएगा, और इसमें अर्जित ब्याज के भुगतान का विवरण भी शामिल होगा। ब्याज मुक्त जमा और अन्य क्रेडिट को फ़ंड में हस्तांतरित होने के संबंध में, बैंक के पास विधिवत ऑडिट किया गया, ग्राहक वार विवरण रखा जाएगा।

डिपॉज़िटर एजुकेशन ऐंड अवेयरनेस फ़ंड स्कीम, 2014 - बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 26A पर RBI के परिपत्र के अनुसार, बैंक ने अपनी वेबसाइट और RBI के UDGAM पोर्टल पर एक विकल्प प्रदान किया है, जिसमें सर्च विकल्प के माध्यम से, ग्राहक अपने नाम पर लंबित अप्राप्त खाते या डिपॉज़िट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर खाते के सामने एक यूनिक डिपॉज़िट रेफ़रेंस नंबर (UDRN) दिखेगा, जिसके आधार पर ग्राहक/दावेदार KYC दस्तावेज़ के साथ शाखा में जाकर धनराशि पर दावा कर सकता है।

ग्राहक/दावेदार का दावा

ग्राहक/दावेदार ऐसे किसी भी डिपॉज़िट पर दावा करने के लिए बैंक से संपर्क कर सकते हैं, जिसे DEAF में हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़, वैध KYC दस्तावेज़, डिपॉज़िट से संबंधित विवरण और राशि की जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अगर यह दावा जमाकर्ता की मृत्यु होने की वजह से है, तो कानूनी वारिस/नॉमिनी जमा धारक के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति और अन्य ज़रूरी कानूनी दस्तावेज़ के साथ शाखा से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे सभी दावों के लिए बैंक की मृतक दावा दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
बैंक अकाउंट को फिर से सक्रिय करेगा और उस अकाउंट में ब्याज के साथ दावे का भुगतान करेगा। इसके अलावा, बैंक जमाकर्ता को भुगतान की गई रकम के बराबर राशि के लिए RBI के DEA फ़ंड से रिफ़ंड के लिए क्लेम फ़ॉर्म भी जमा करेगा।

सभी निष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमा राशि/खातों की सालाना समीक्षा की जाएगी और इसे बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा।

<u>अन्य बैंकिंग सेवाएँ</u>

स्टॉप पेमेंट सुविधा

बैंक जमाकर्ताओं द्वारा जारी किए गए चेक के संबंध में उनसे स्टॉप पेमेंट का निर्देश स्वीकार करेगा। इस सेवा के लिए शुल्क लागू हो सकता है। इसकी जानकारी पहले ही दे दी जाएगी और इसे बैंक की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा।

सेफ़ डिपॉज़िट लॉकर

बैंक अपनी कुछ शाखाओं के माध्यम से सेफ़ डिपॉज़िट लॉकर की सुविधा प्रदान करता है। जहाँ यह सुविधा उपलब्ध है, वहाँ लॉकर का आवंटन उपलब्धता और सेवा से संबंधित अन्य नियमों और शर्तों के पालन के अधीन होगा। लॉकर आवंटन से संबंधित विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

खातों को बंद करना

जमाकर्ता के विशेष अनुरोध पर खाते बंद किए जा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट सिर्फ़ सभी खाताधारकों के अनुरोध पर ही बंद किए जा सकते हैं।

बैंक को चालू, बचत, या किसी डिमांड डिपॉज़िट खाते को पर्याप्त नोटिस देकर बंद करने का अधिकार है।

<u>अन्य महत्वपूर्ण जानकारी</u>-

ग्राहक हितों की रक्षा करना

बैंक के लिए खाता खोलते समय ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और यह डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

बैंक ग्राहक को जानकारी दिए बिना बैंक द्वारा सेवाओं या उत्पादों की क्रॉस सेलिंग के लिए इस जानकारी का उपयोग नहीं करेगा। अगर बैंक इस जानकारी का उपयोग करना चाहता है, तो यह पूरी तरह से खाताधारक की सहमति से ही होगा।

बैंक ग्राहक के खाते का विवरण ग्राहक की व्यक्त या निहित सहमति के बिना किसी तीसरे व्यक्ति या संगठन को साझा नहीं करेगा, जब तक कि कानून/वैधानिक अधिकारियों द्वारा ऐसा करना ज़रूरी न हो।

डिपॉज़िट के लिए बीमा कवर -

सभी बैंक डिपॉज़िट, कुछ सीमाओं और शर्तों के अधीन डिपॉज़िट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (DICGC) द्वारा दी जाने वाली बीमा स्कीम के तहत कवर किए जाते हैं। लागू बीमा कवर का विवरण जमाकर्ता से साझा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, ग्राहक <u>www.dicgc.org.in</u> पर लॉग इन कर सकते हैं।

जानकारी देने में ग्राहक की असमर्थता

अगर कोई मौजूदा ग्राहक कानूनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा मांगा गया आवश्यक विवरण नहीं दे पाता है, तो ग्राहक को नोटिस देने के बाद उसका खाता बंद भी किया जा सकता है।

असंतोष और शिकायतों की निवारण प्रक्रिया

जो ग्राहक बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में फ़ीडबैक देना चाहते हैं या जिन्हे कोई शिकायत/परेशानी है, वे ग्राहक शिकायतों के निपटान के लिए बैंक द्वारा नियुक्त किए गए नामित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। शिकायतों/समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया और संपर्क करने के विवरण शाखा के परिसर में/वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। शाखा के अधिकारी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में सभी ज़रूरी जानकारी देंगे। अगर ग्राहक को शिकायत की तारीख से एक महीने के अंदर बैंक से कोई जवाब नहीं मिलता है या दिए गए जवाब से वह संतुष्ट नहीं है, तो उसे रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने का अधिकार है।

ग्राहक बैंक की शिकायत निवारण नीति के विस्तृत विवरण के लिए बैंक की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।

अप्रत्याशित घटना

अप्रत्याशित घटना से आशय दैवीय आपदा, बाढ़, सूखा, भूकंप या अन्य प्राकृतिक विपदा या स्थिति, आपदा, महामारी या वैश्विक महामारी, आतंकवादी हमला, युद्ध या दंगे, परमाणु, रासायनिक या जैविक संदूषण, औद्योगिक कार्रवाई, बिजली गुल होना, कंप्यूटर का खराब होना या तोड़फोड़, और इमारतों का गिरना, आग, विस्फोट या दुर्घटना या इस तरह के अन्य दुर्घटनाओं से है जो बैंक के उचित नियंत्रण से परे हैं।

बैंक के दायित्वों का निष्पादन तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि उक्त अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति के कारण काम करना असंभव हो। बैंक द्वारा अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार किसी भी अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को कम करने के लिए उचित कदम उठाने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी औद्योगिक कार्रवाई, बिजली गुल होने, कंप्यूटर खराब होने या तोड़फोड़ की स्थिति में, बैंक अपनी सेवाएं प्रदान करने में होने वाली देरी को कम करने के लिए उचित कदम उठाएगा और अपने ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा।

गवर्नेंस

इस नीति की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाएगी लेकिन नियामक दिशानिर्देशों में किसी भी बदलाव के मामले में इसकी समीक्षा पहले भी की जा सकती है।

परिशिष्ट 1 शब्दावली

[इस यूनिट की शब्दावली में यूनिट के मैंडेट, नीतियों और मानकों को समझने के लिए ज़रूरी सभी शब्दों, लघुनामों और परिभाषाओं का विवरण दिया गया है]

GOI- भारत सरकार
DBIL- डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड
DBL- डीबीएस बैंक लिमिटेड
WOS- पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
ALCO- एसेट लाइबिलिटी कमेटी
DBT- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
PAN- स्थायी खाता संख्या
KYC- अपने ग्राहक को जानें
FCNR Deposit – विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा खाता
NRE- नॉन-रेज़िडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट
NRO- नॉन-रेज़िडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट
PIO/OCI- भारतीय मूल का व्यक्ति / विदेशी भारतीय नागरिक
CERSAI- प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित की केंद्रीय रजिस्ट्री, भारत
CKYCR- केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री
PID - व्यक्तिगत जानकारी का विवरण
OVD - आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़

परिशिष्ट 2 आईबीजी (IBG) रेट को अपडेट करने की प्रक्रिया

क्रमांक	गतिविधि	उत्तरदायित्व	समयसीमा (T प्रभावी तिथि है)
1	कॉर्पोरेट ट्रेज़री टीम द्वारा कंपनी पोर्टल पर प्रकाशित दैनिक बिड FTP फ़ाइल <INDIA_DEPOSITS> प्राप्त करना।	GTS	T कार्य दिवस
2	अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को मेल पर दोपहर 12.30 बजे तक डिफरेंशियल रेट कार्ड जारी करना।	GTS FD डेस्क	T कार्य दिवस
3	संबंधित ब्याज दर तालिका - TDGEN, TDNCB और TDDIS को कवर करते हुए दर परिवर्तन के लिए PCRF टेम्प्लेट तैयार करना।	GTS FD डेस्क	T कार्य दिवस
4	PCRF टेम्प्लेट चेक करते हुए सुनिश्चित करना कि FD दर में बदलाव PCRF फ़ाइल में सही तरीके से दिख रहे हैं।	GTS FD डेस्क	T कार्य दिवस
5	PCRF टेम्प्लेट फ़िनेकल में अपडेट के लिए शाखा की ऑपरेशन्स टीम के साथ दोपहर 1 बजे तक साझा करना।	GTS FD डेस्क	T कार्य दिवस
6	शाखा की ऑपरेशन्स टीम द्वारा फ़िनेकल प्रोडक्शन में संशोधित ब्याज दरों को मेकर द्वारा अपडेट करना और चेकर द्वारा सत्यापित करना तथा दोपहर 2:30 बजे से पहले टीडी ऑप्स को पुष्टि देना	शाखा संचालन	T कार्य दिवस
7	फ़िनेकल प्रोडक्शन में सभी प्रभावित तालिकाओं की जाँच करना और दोपहर 3 बजे तक GTS FD Desk को पुष्टि देना	TD संचालन	T कार्य दिवस

परिशिष्ट 3 पिछले संस्करण

संस्करण	जारी करने की तारीख	प्रमुख बदलावों का संक्षिप्त विवरण
1.0	फ़रवरी 2022	- DBS और e-LVB के बीच नीति में तालमेल बनाया गया
2.0	जून 2023	- आधार व ओटीपी पर आधारित सावधि जमा को शामिल किया गया - FCNR (B) स्लैब को जोड़ा गया - सेफ़ डिपॉज़िट लॉकर को शामिल किया गया - समीक्षा अवधि जोड़ी गई
3.0	अगस्त 2024	- बल्क डिपॉज़िट के वर्गीकरण में परिवर्तन - सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी को शामिल किया गया - दावा नहीं की गई जमा राशि/निष्क्रिय खातों की नियमित समीक्षा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया।
4.0	अक्टूबर 2025	- विशेष आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के लिए अभिभावक का प्रावधान जोड़ा गया; - दावा नहीं की गई जमा राशि को RBI के DEA फ़ंड में हस्तांतरित करने की समय सीमा को 3 महीने से घटाकर 1 महीना किया गया। - बचत खाते पर अतिरिक्त ब्याज दर और e-LVB रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए विशेष ब्याज दरों का प्रावधान जोड़ा गया। - सावधि जमा को समय से पहले बंद करने पर ब्याज की गणना से संबंधित प्रावधान में संशोधन किया गया